

रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त का सीमांकन एवं विशेषताएं

डॉ. (श्रीमती) जेड़ टी.खान एवं डॉ. (श्रीमती) वन्दना यादव

छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनने के पश्चात् रायपुर नगर का विकास तीव्र गति से हुआ है। यह नगर अपनी प्रशासकीय सीमा से बाहर प्रमुख मार्गों के सहारे विकसित होता जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। यातायात सुविधाओं के विकास के कारण नगर सीमा के बाह्य क्षेत्रों पर नगरीय क्रियाकलाप तीव्र गति से प्रारंभ हो गए हैं परिणामस्वरूप नगरीय कार्यों द्वारा समीपवर्ती भूमि का अधिग्रहण तीव्रता से हो रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त का सीमांकन करना तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है।

आँकड़ों का संकलन एवं विधितंत्र –

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन हेतु नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, जिला सांख्यिकीय कार्यालय रायपुर से आँकड़ों का संकलन किया गया है।

रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त का सीमांकन

ग्रामीण-नगरीय उपान्त के सीमांकन का कार्य अत्यधिक कठिन है क्योंकि उपान्त के सीमांकन हेतु कोई निश्चित आधार नहीं है और न ही कोई भौगोलिक कारक जिसके आधार पर उपान्त का सीमांकन किया जा सके। जब उपान्त का विकास सतत् न होकर खंडित या टुकड़ों के रूप में होता है तब उसकी सीमा का निर्धारण और भी कठिन हो जाता है।

रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त के सीमांकन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर स्थित नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की नियोजन सीमा के अंतर्गत आने



GEOGRAPHERS TODAY

ISSN - 3139-9568 (Online)
Vol. - 01
No.- 01

वाले 69 ग्राम तथा नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 61 ग्राम, इस प्रकार कुल 130 ग्रामों को लिया गया है। तत्पश्चात् रायपुर नगर के मानचित्र पर इन ग्रामों की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के आधार पर कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार समान रेखा मानचित्र बनाया गया जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या वाले ग्रामों को पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र माना गया है। इस प्रकार 80 ग्रामों को रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त के रूप में सीमांकित किया गया है।

व्यावसायिक संरचना के आधार पर उपान्त के सीमांकन के पश्चात् भी पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित उपान्त की विशेषताओं, परिवहन मार्गों की उपलब्धता तथा भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए 17 ग्रामों को (हतबंद, परसुलडीह, बरौंदा, पिरदा, छतौना, गोमची, गीदी, अकोली, गिधोरी, टोर, छपोरा, नरदहा, धनसुली, रीको, चीचा, रमचंडी, बनरसी) ग्रामीण नगरीय उपान्त के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कुल 97 ग्रामों को रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त के रूप में सीमांकित किया गया है।

रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त का वर्गीकरण –

रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है –

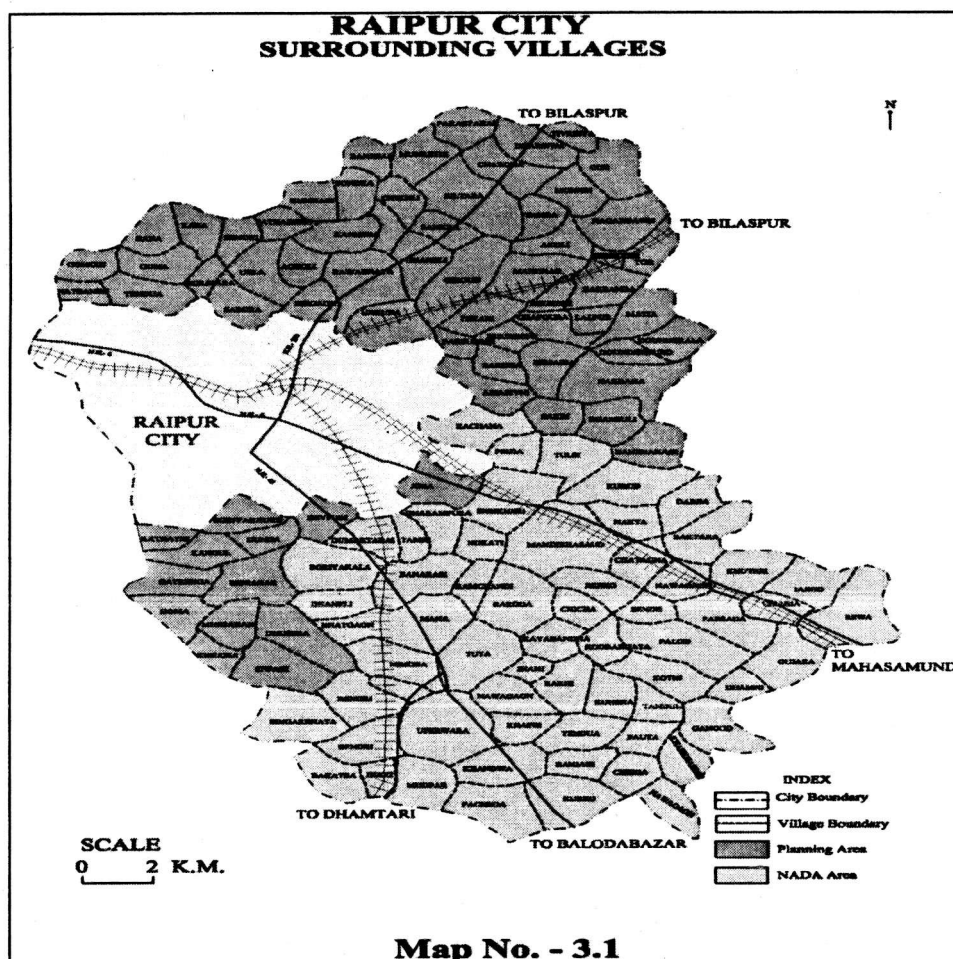
1. प्राथमिक उपान्त – प्राथमिक उपान्त के अंतर्गत उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जहां 65 प्रतिशत से कम जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके अंतर्गत कुल 43 ग्राम आते हैं—

1. बाना, 2. गुमा, 3. तेन्दुआ, 4. उरला, 5. सरोरा, 6. अछोली, 7. बीरगांव, 8. रावांभाठा, 9. उरकुरा,

10. धनेलौ, 11. सांकरा, 12. सिलतरा, 13. चरोदा बाजार, 14. धरसीवा, 15. कुम्हारी, 16. सोड़रा, 17. बहेसर, 18. गिरौद, 19. मांढर, 20. टेकारी, 21. सेमरिया, 22. दोंदेखुर्द, 23. दोंदेकला, 24. आमासिवनी, 25. कचना, 26. तुलसी, 27. बाहनाकाड़ी, 28. जोरा, 29. सेड़ीखेड़ी, 30. मंदिर हसौद, 31. धरमपुरा, 32. टेमरी, 33. डुमरतराई, 34. देवपुरी, 35. बोरियाखुर्द, 36. कठाठी, 37. भटगांव, 38. कयाबांधा, 39. हतबंद, 40. परसुलडीह, 41. बरौंदा, 42. पिरदा, 43. छतौना।

2. द्वितीयक उपान्त – द्वितीयक उपान्त के अंतर्गत उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जहां 65–80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके अंतर्गत कुल 54 ग्राम आते हैं –

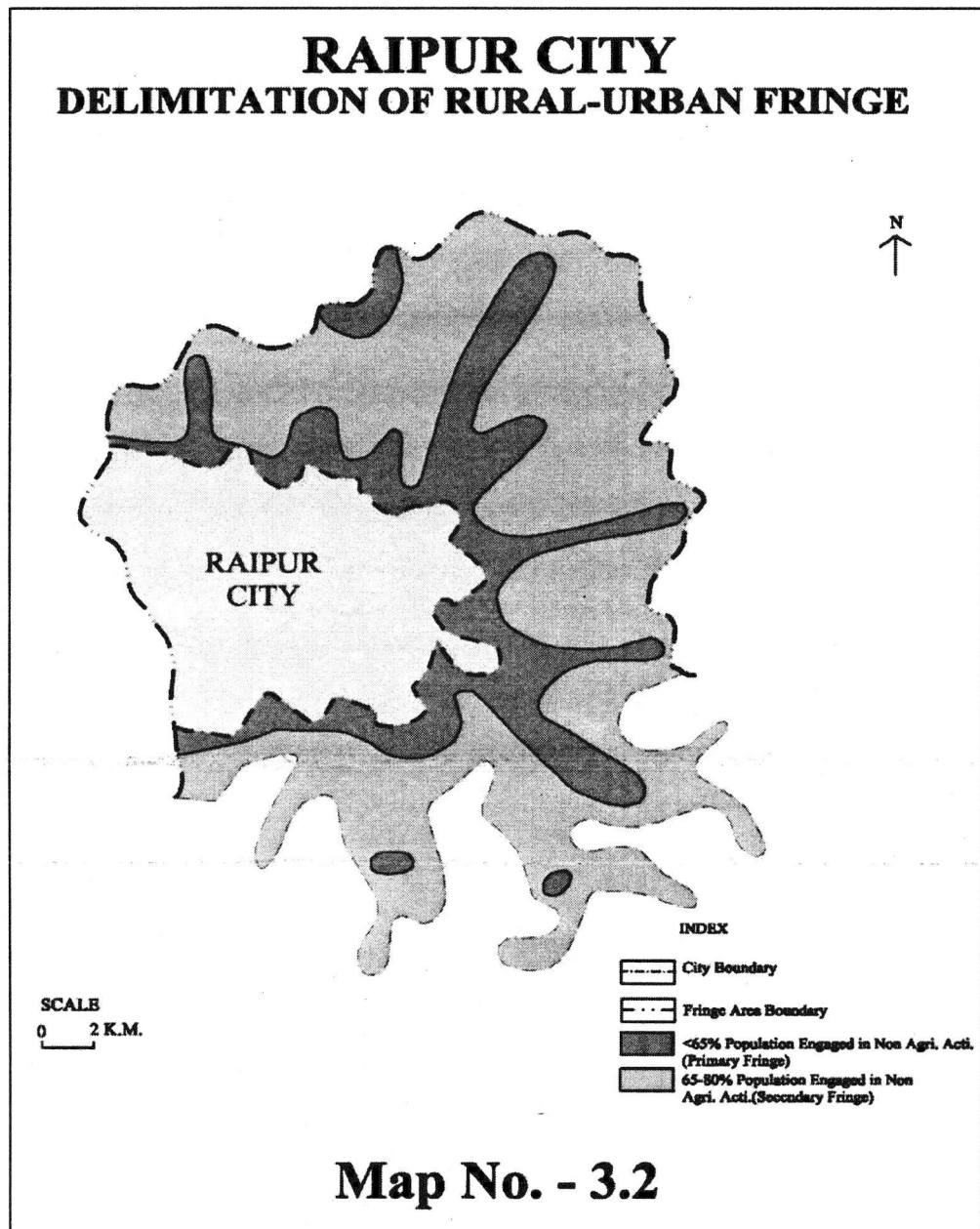
1. कारा, 2. बोरझारा, 3. बेन्द्री, 4. पठारीडीह, 5. कन्हेरा, 6. निमोरा, 7. चिखली, 8. मुनरेठी,
9. परसतराई, 10. तिवरैया, 11. मोहदी, 12. टांडा, 13. नगरगांव, 14. बरबन्दा, 15. नेउरडीह,
16. मटिया, 17. लालपुर, 18. भुरकोनी, 19. संकरी, 20. कुरुद, 21. नकटा, 22. बकतरा, 23.
- खुटेरी, 24. उमरिया, 25. नवागांव 26. सेंध, 27. पलौद, 28. कोटराभाठा, 29. नोकटी, 30.
- बरौदा, 31. माना, 32. राखी, 33. नवागांव, 34. बोरियाकला, 35. धनेली, 36. निमोरा, 37.
- बेन्द्री, 38. डूंडा, 39. सेजबहार, 40. मुजगहन, 41. कान्दुल, 42. दतरेंगा, 43. गोमची, 44.
- गीदी, 45. अकोली, 46. गिधोरी, 47. टोर, 48. छपोरा, 49. नरदहा, 50. धनसुली, 51. रीको,
52. चीचा, 53. रमचंडी, 54. बनरसी।



रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त की स्थिति एवं विस्तार –

रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त का विस्तार उत्तर में परसतराई तथा धरसीवा, दक्षिण में दतरेंगा एवं मुजगहन, पूर्व में गोमची तक है। यह उत्तर में रायपुर-बिलासपुर मार्ग

(N.H.- 200) तथा मुम्बई-हावड़ा रेलमार्ग की भाखा के समीप, उत्तर-पूर्व में रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग के समीप, पूर्व में रायपुर-संबलपुर मार्ग, रायपुर-धमतरी मार्ग तथा रायपुर-राजिम-धमतरी रेलमार्ग के समीप एवं दक्षिण-पूर्व में रायपुर-विशाखापट्टनम रेलमार्ग के समीप विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 47,299.21 हे. है तथा इसकी कुल जनसंख्या 2,49,435 है।



रायपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपान्त की प्रमुख विशेषताएं

रायपुर नगर का ग्रामीण-नगरीय उपान्त विभिन्न विशेषताओं से युक्त है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं –

1. औद्योगिक क्षेत्र – रायपुर नगर के ग्रामीण-नगरीय उपान्त की सर्वप्रमुख विशेषता यहां पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। उपान्त क्षेत्र के उत्तर में बिलासपुर मार्ग के समीप वर्ष 1959 में रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में उरला औद्योगिक क्षेत्र (उरला औद्योगिक विकास निगम द्वारा) 298 हेक्टेयर क्षेत्र पर तथा औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा (औद्योगिक केन्द्र निगम द्वारा) 1310 हे. क्षेत्र पर विकसित है। ये दोनों रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं।

इन औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य इकाईयां समीपवर्ती क्षेत्रों जैसे बिलासपुर मार्ग पर बिरगांव, सरोरा, उरकुरा तथा मांढर, बलौदाबाजार मार्ग पर आमासिवनी, जी.ई. रोड पर मंदिर हसौद तथा धमतरी मार्ग पर देवपुरी बोरियाखुर्द आदि स्थित हैं।

2. भौक्षणिक क्षेत्र :-

(1) कृषि महाविद्यालय – जी. ई. रोड पर ग्राम लभांडी में इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय स्थापित है जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि महाविद्यालय है। यहां कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के साथ ही नवीनतम शोध की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(2) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय – ग्राम काठाडीह में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय स्थित है।

(3) मैट्स विश्वविद्यालय – रायपुर नगर के उपान्त में ग्राम दतरेंगा में महावीर प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है।

(4) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय – रायपुर नगर के उपान्त में ग्राम में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित है।

(5) कलिंगा विश्वविद्यालय – नया रायपुर के समीप कलिंगा विश्वविद्यालय स्थित है।

(6) रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड इंजीनियरिंग – जी.ई. रोड पर ग्राम-छतौना में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड इंजीनियरिंग स्थापित है। यह विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करता है।

(7) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय– धमतरी रोड पर ग्राम सेजबहार में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित है।

(8) भारतीय प्रबंधन संस्थान – रायपुर नगर के उपान्त में ग्राम दतरेंगा में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है।

(9) प्रगति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट – ग्राम सेजबहार में प्रगति कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट स्थित है।

(10) मैट्स विश्वविद्यालय – रायपुर नगर के उपान्त में ग्राम दतरेंगा में महावीर प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान वि विद्यालय स्थित है।

(11) रेडिएण्ट पब्लिक स्कूल – धमतरी मार्ग पर ग्राम देवपुरी में रेडिएण्ड पब्लिक स्कूल स्थापित है। यह निजी शिक्षण संस्थान है जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

(12) जवाहर नवोदय विद्यालय – धमतरी मार्ग पर ग्राम माना में नवोदय विद्यालय स्थापित है जो विद्यार्थियों को उच्च स्तर की विद्यालयीन शिक्षा प्रदान करता है।

(13) मूक-बधिरों हेतु स्कूल एवं प्रशिक्षण संस्थान – धमतरी मार्ग पर ग्राम माना में मूक बधिरों के लिए स्कूल एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है।

3. विधानसभा भवन :- ग्रामीण नगरीय उपान्त के पूर्व में ग्राम-बरौदा में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन स्थापित है।

4. रेडियो स्टेशन :- ग्रामीण नगरीय उपान्त के उत्तरी भाग में ग्राम रांवाभाठा में आल इंडिया रेडियो स्टेशन स्थापित है।

5. हवाई अड्डा एवं माना रिफ्यूजी कैम्प- ग्रामीण-नगरीय उपान्त के दक्षिण में ग्राम माना में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित है।

ग्राम माना में 1964 में बंगलादेश से आये हुए शरणार्थियों के लिए माना रिफ्यूजी कैम्प की स्थापना की गई थी। यहां उपलब्ध सुविधाओं के कारण वर्तमान में यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी निवास करते हैं।

6. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम :- ग्रामीण नगरीय उपान्त के पूर्व में जी.ई. रोड पर ग्राम परसदा में छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित है। इससे पैंसठ हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है।

7. नया रायपुर विकास प्राधिकरण- ग्रामीण नगरीय उपान्त के दक्षिण-पूर्व में भासन द्वारा नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित 61 ग्रामों में पूर्ण नियोजित नया रायपुर का

विकास किया जा रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद चौथा नियोजित शहर है। यह कुल 237.42 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जा रहा है।

8. मनोरंजन केन्द्र — ग्रामीण नगरीय उपान्त के उत्तर पश्चिम भाग में ग्राम हतबंद में मनोरंजन का प्रमुख केन्द्र नंदनवन स्थापित है। यहां पर अनेक वन्य पशु-पक्षियों को रखा गया है। यहां बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न झूले तथा नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। नया रायपुर में मानव निर्मित जंगल सफारी का निर्माण 200 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। यहां 50 हेक्टेयर क्षेत्र में झील बनाई गई है।

9. गोदाम — ग्रामीण नगरीय उपान्त के पूर्व में जी.ई. रोड पर ग्राम मंदिर हसौद में एलपीजी गैस रिफिलिंग केन्द्र स्थापित है। ग्राम छतौना में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम स्थित है।

10. ईट भट्ठा — ग्रामीण नगरीय उपान्त के पश्चिमी भाग में खारुन नदी के समीप ईट भट्ठा स्थित है। यहां खारुन नदी से जल की प्राप्ति तथा रेत मिश्रित क्ले मिट्टी की उपलब्धता ईट-भट्ठों की स्थापना के लिए प्रमुख आकर्षण है।

11. गिट्टी एवं पत्थर खदान — ग्रामीण नगरीय उपान्त के दक्षिण पूर्व में पिरदा, धरमपुरा में कई गिट्टी एवं पत्थर खदानें स्थापित हैं। गिट्टी एवं पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से भवनों एवं सड़कों के निर्माण में किया जाता है।

12. फल एवं सब्जी उद्यान — ग्रामीण नगरीय उपान्त की अन्य प्रमुख विशेषता यहां पर स्थित अनेक फल एवं सब्जी उद्यान हैं। यहां पर अधिकांश फल एवं सब्जी उद्यान खारुन नदी के समीपवर्ती ग्रामों हतबंद एवं गोमची में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग में भी कई ग्रामों में फल एवं सब्जी उद्यान स्थापित हैं।

इस प्रकार रायपुर नगर का ग्रामीण-नगरीय उपान्त विभिन्न विशेषताओं से युक्त है।

REFERENCE

- | | |
|---------------|---|
| Gopi, K.N. | Process of Urban Fringe Development A model, New Delhi, Concept Publishing Company, 1978. |
| Lal, H. | City and Urban Fringe, New Delhi Concept Publishing Company, 1957. |
| Mukherjee, D. | The Concept of Urban Fringe and Its delimitation: The Case of Orland, Florida, U.S.A. Geographical Review of India, Calcutta, Vol. 25, 1963, PP. 45-55. |